अधिसूचना दिनांक 30.10.2009

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2009

क्रमांक 2299/मप्रविनिआ/2006 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 सहपठित धारा 39(2)(डी)(i), 40 (सी)(i), 42(2), 66, 86(1)(सी) तथा 86(2)(i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग निम्न संहिता बनाता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता

(Balancing and Settlement Code - BSC)

1. <u>प्रस्तावना</u>

1.1 राष्ट्रीय विद्युत नीति राज्य स्तर पर उपलब्धता आधारित विद्युत–दर (Availability Based Tariff-ABT) की एक विश्वसनीय व्यवस्थापन कार्यविधि का कार्यान्वयन राज्यान्तरिक विद्युत इकाईयों के मध्य, अन्तः–दिवस विद्युत के अन्तरण की व्यवस्था की संस्थापना किये जाने की अपेक्षा रखती है । राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार, इस संरचना का विस्तार विद्युत उत्पादन स्टेशनों (ग्रिड संयोजित कैप्टिव संयंत्रों को सम्मिलित कर, जिनकी क्षमता राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अवधारित की गई हो) तक किया जाना चाहिए । यह संहिता राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 5.7.1 (बी) तथा (डी) एवं राष्ट्रीय विद्युत नीति की धारा 6.2 (1) तथा 6.3 के उद्देश्यों को प्रभावी बनाए जाने की दृष्टि से, विनिर्दिष्ट की गई है ।

2. <u>संक्षिप्त शीर्षक, प्रयोज्यता की सीमा तथा प्रारम्भ</u>

2.1 यह संहिता **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (संतुलन तथा व्यवस्थापन) संहिता 2009" (जी 34, वर्ष 2009)** कही जाएगी ।

2.2 यह संहिता मध्यप्रदेश राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में लागू होगी तथा राज्यान्तरिक इकाईयों को (राज्यान्तरिक खुली पहुंच इकाईयों को छोड़कर) इस संहिता में विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार लागू होगी।

2.3 यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के माह के अगले माह की प्रथम तिथि से प्रभावशील होगी ।

3. <u>परिभाषाएं :</u>

3.1 इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

1. "अधिनियम (Act)" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

2. ''केविनिआ (CERC)'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission) जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट किया गया है;

3. ''सीएमआरआई (CMRI)'' से अभिप्रेत है सामान्य मापयंत्र वाचन उपकरण, (Common Metre Reading Instrument) जो कि बहु–निर्मिति के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मापयंत्रों से आंकड़ों को डाऊनलोड करने तथा इनके संग्रहण हेतु उपयोग में लाया जाता है;

4. ''आयोग (Commission)'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (MPERC) जिसका गठन अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत किया गया है;

5. ''दिवस (Day)'' से अभिप्रेत है एक निरन्तर अवधि जो 00.00 घंटे से प्रारंभ होकर 24.00 घंटे पर समाप्त होती है;

6. ''प्रेषण अनुसूची (Despatch Schedule)'' से अभिप्रेत है एक विद्युत उत्पादक कम्पनी के विद्युत उत्पादन संयंत्र से उद्भूत (एक्स पावर प्लांट) शुद्ध विद्युत उत्पादन मेगावॉट (एमडब्लू) तथा मेगावाट ऑवर (एम डब्लू एच) में, जिसका समय–समय पर ग्रिड को संप्रेषण किया जाना सूचीबद्ध किया गया है;

7. ''विस्तृत प्रक्रिया (Detailed Procedure)'' से अभिप्रेत है इस संहिता के अन्तर्गत राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई विस्तृत प्रचालन प्रक्रिया;

8. 'वितरण कम्पनी नियंत्रण केन्द्र Discom Control Centre - (DCC)' से अभिप्रेत है इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों से युक्त प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी मुख्यालय पर संस्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष (*वितरण कम्पनी नियंत्रण केन्द्र के निर्माण, संचालन तथा संधारण का दायित्व तत्संबंधी विद्युत वितरण कंपनी का होगा);*

9. ''वितरण कंपनी ऊर्जा लेखांकन दल (Discom Energy Accounting Group-DEAG)'' से अभिप्रेत है प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी {वितरण कम्पनी नियंत्रण केन्द्र पर स्थित} द्वारा गठित किया जाने वाला दल जो कि राज्य भारा प्रेषण केन्द्र के समन्वयन से (जहां यह आवश्यक हो) इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा;

10. ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत वितरण कम्पनी (Discom)'' से अभिप्रेत है एक अनुज्ञप्तिधारी जो कि उसके प्रदाय–क्षेत्र के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु किसी विद्युत वितरण प्रणाली को संचालित तथा संधारित किये जाने हेतु प्राधिकृत है;

11. ''आहरण अनुसूची (Drawal Schedule)'' से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन संयंत्र से उद्भूत (एक्स–पावर प्लांट) मेगावाट की मात्रा जिसकी किसी विद्युत वितरण कम्पनी अथवा एक खुली पहुंच क्रेता (ओपन एक्सेस कस्टमर) द्वारा एक विद्युत उत्पादक स्टेशन से प्राप्ति अनुसूचीबद्ध की गई है, तथा जिसमें समय–समय पर निष्पादित किये गये द्विपक्षीय तथा सामूहिक विनिमय भी सम्मिलित हैं;

12. ''ऊर्जा लेखांकन दल (Energy Accounting Group - EAG)'' का अभिप्राय राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्तर पर गठित किये जाने वाले उस दल से है जो कि इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा;

13. "स्वत्वाधिकार (Entitlement)" से अभिप्रेत है किसी विद्युत उत्पादक स्टेशन की स्थापित क्षमता/उत्पादन योग्यता (Installed capacity/Output capability) में विद्युत वितरण कम्पनी अथवा एक खुली पहुंच क्रेता का अंशदान (मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर में);

14. "विद्युत उत्पादन संयंत्र से उद्भूत (Ex-Power Plant)" से अभिप्रेत है एक विद्युत उत्पादक स्टेशन से सहायक खपत (Auxiliary consumption) तथा रूपान्तरण हानियों (Transformation losses) को घटाकर शुद्ध विद्युत उत्पादन मेगावाट/मेगावाट ऑवर में;

15. "उत्पादक नियंत्रण केन्द्र (Generator Control Centre - GCC)" से अभिप्रेत है इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) मुख्यालय पर संस्थापित किया गया तथा आवश्यक अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों से युक्त नियंत्रण कक्ष *(उत्पादक नियंत्रण केन्द्र का निर्माण, स्वामित्व, संचालन तथा संधारण का दायित्व एमपीपीजीसीएल का होगा);*

16. "ग्रिड (Grid)" से अभिप्रेत है अन्तर्संयोजित पारेषण तन्तुपथ लाईनों, उपकेन्द्रों तथा उत्पादन संयन्त्रों की उच्च दाब आधारित/आधारभूत प्रणाली;

17. "भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता अथवा Indian Electricity Grid Code (IEGC)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 79 की उपधारा 1 की कण्डिका (एच) के अनुसार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई ग्रिड संहिता;

18. "अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन Inter-State Generating System (ISGS)" से अभिप्रेत है एक केन्द्रीय/अन्य विद्युत उत्पादक स्टेशन जिसमें दो या दो से अधिक राज्यों की भागीदारी हो तथा जिसके अनुसूचीकरण का समन्वयन क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र Regional Load Despatch Centre - (RLDC) द्वारा किया जाएगा;

19. "राज्यान्तरिक इकाई (Intra-State Entity)" से अभिप्रेत एक व्यक्ति (इकाई) से है जिसका मापन (मीटरिंग) तथा ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है *{इस संहिता के प्रयोजन से राज्यान्तरिक इकाईयों में सम्मिलित होंगे: एमपीपीजीएल स्टेशन, इन्दिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर जल–विद्युत परियोजना, भविष्य में संभावित अन्य स्टेशन, भागीदारी वाले स्टेशन, स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी), वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्यान्तरिक खुली पहुंच क्रेतागण};*

20. "मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (Madhya Pradesh Electricity Grid Code - MPEGC)" से अभिप्रेत है आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) की कण्डिका (एच) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट की गई ग्रिड संहिता;

21. "माह (Month)" से अभिप्रेत है ब्रिटिश कलेण्डर के अनुसार एक माह;

22. "म.प्र. ट्रेडको (MPTradeco)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 7 जून, 2006 को अधिसूचित की गई मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिग कंपनी लिमिटेड;

23. "शुद्ध आहरण अनुसूची (Net Drawal Schedule)" से अभिप्रेत एक विद्युत वितरण कम्पनी अथवा एक खुली पहुंच क्रेता की आनुपातिक पारेषण हानियों (प्राक्कलित किये गये) को घटाकर तैयार की गई आहरण अनुसूची;

24. "खुली पहुंच क्रेता (Open Access Customer)" से अभिप्रेत है एक ऐसे व्यक्ति (क्रेता) से है, जिसके द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2008 अर्थात् CERC(Open Access in Inter-State Transmission), Regulations, 2008" (यथा संशोधित) के अन्तर्गत खुली पहुंच का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा इसकी प्राप्ति हेतु इच्छुक है तथा इसमें सम्मिलित होंगे, एक लघु–अवधि पारेषण

क्रेता जैसा कि इन्हें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) के किन्हीं अन्य विनियमों के अन्तर्गत परिभाषित किया गया हो अथवा एक विद्युत उत्पादक कम्पनी (कैप्टिव उत्पादक संयंत्र को सम्मिलित कर) अथवा एक अनुज्ञप्तिधारी अथवा एक उपभोक्ता जिसे मप्रविनिआ द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके प्रदाय क्षेत्र को छोड़कर, किसी अन्य व्यक्ति (क्रेता) से विद्युत प्राप्ति हेतु प्राधिकृत किया गया है अथवा एक राज्य शासन की कोई इकाई जिसे विद्युत के विक्रय अथवा क्रय हेतु प्राधिकृत किया गया है;

25. ''राज्य भार प्रेषण केन्द्र (State Load Despatch Centre - SLDC)'' से अभिप्रेत है एक ऐसे केन्द्र से है, जिसे कि अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित किया गया है;

26. ''राज्य (State)'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

27. ''राज्य ऊर्जा लेखा (State Energy Account-SEA)'' से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा क्षमता प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों तथा प्रोत्साहनों की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया मासिक राज्य ऊर्जा लेखा;

28. ''राज्य प्रतिक्रिय लेखा (State Reactive Account - SRA)'' से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रतिक्रिय ऊर्जा प्रभारों (Reactive Energy Charges) की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया साप्ताहिक राज्य प्रतिक्रिय लेखा;

29. राज्य असूचीबद्ध विनिमय लेखा (State UI Account- SUA)'' से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रभारों की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया साप्ताहिक राज्य असूचीबद्ध विनिमय लेखा;

30. ''राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन (State Sector Generating Station-SSGS)'' से अभिप्रेत है राज्य के भीतर स्थित कोई विद्युत उत्पादक स्टेशन, राज्य के भीतर स्थित किसी अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन (आईएसजीएस) को छोड़कर *(इस संहिता के प्रयोजन से, इन्दिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर जल–विद्युत परियोजना तथा अन्य अंशदान–युक्त स्टेशन जिनमें म.प्र.राज्य का अंशदान सम्मिलित हो, को राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन माना जाएगा);*

31. ''राज्य पारेषण इकाई (State Transmission utility-STU)'' से अभिप्रेत है मण्डल (बोर्ड) अथवा कोई शासकीय कंपनी, जैसा कि इसे राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस प्रकार से विनिर्दिष्ट किया गया हो;

32. ''समय–खण्ड (Time Block)'' से अभिप्रेत है प्रत्येक 15–मिनट अवधि का समय–खण्ड, जिसे कि विशेष ऊर्जा मापयंत्र (मीटर) विनिर्दिष्ट विद्युत मानदण्ड तथा मात्राएं अभिलेखित करते हैं तथा जिसका प्रथम समय–खण्ड 00.00 घंटे (बजे) से प्रारंभ होता है;

33. ''असूचीबद्ध विनिमय दर (Unscheduled Interchange Rate - UI Rate)'' से अभिप्रेत है एक 15–मिनट के समय–खण्ड में ग्रिड की औसत आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) की तत्संबंधी औसत दर, जैसा कि इसे केविनिआ द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हो;

34. ''सप्ताह (Week)'' से अभिप्रेत है सात (7) दिवस की निरंतर अवधि जो कि ब्रिटिश कलेण्डर के अनुसार सोमवार को 00.00 घंटे (बजे) से प्रारंभ होकर आगामी रविवार को 24.00 घंटे (बजे) पर समाप्त होती है ।

3.2 इस संहिता में प्रयोग में लाये गये समस्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां, तथापि जिन्हें यहां पर परिभाषित न किया गया हो, परन्तु जिन्हें अधिनियम अथवा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता अथवा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में परिभाषित किया गया हो, यहां पर वही अर्थ रखेंगी जैसा कि इन्हें अधिनियम अथवा

भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता अथवा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, विनियम जैसा कि वह लागू हो, में परिभाषित किया गया है ।

3.3 इस संहिता में निम्न संक्षेप–शब्द (abbreviations) प्रयोग में लाये गये हैं :

संक्षेप	विस्तार
एमपीपीजीसीएल	मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
एमपीपीटीसीएल	मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
डब्लूआरएलडीसी	पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (वेस्टर्न रीजनल लोड डेस्पेंच सेंटर)
डब्लू आर पी सी	पश्चिमी क्षेत्रीय पावर समिति (वेस्टर्न रीजनल पावर कमेटी)
आईपीपी	इंडिपेंडेट पावर प्रोड्यूसर अर्थात् स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक

4. अधोसंरचना तथा योग्यता अहर्ताएं :

4.1 इस संहिता के सम्पूर्ण कार्यान्वयन हेतु, तत्संबंधी इकाई द्वारा पर्याप्त अधोसंरचना तथा योग्यता का विकास किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

4.2 इस संहिता के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके), आयोग के पूर्व के अनुमोदन द्वारा, सुसंगत तथा अवशेष विषयों से संबंधित एक विस्तृत प्रक्रिया, जिन्हें इस संहिता में विस्तृत रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है, जारी करेगा, जैसे कि :

(अ) अनुसूचीकरण तथा प्रेषण हेतु विस्तृत प्रक्रिया;

(ब) ऊर्जा मीटरीकरण हेतु विस्तृत प्रक्रिया [आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा प्रसंस्करण, आंकड़ा अन्तरण, आंकड़ा परिरक्षण (archiving), आदि को सम्मिलित करते हुए)];

(स) ऊर्जा लेखांकन, असूचीबद्ध विनिमय लेखांकन (यूआई अकाऊटिंग), प्रतिक्रिय (रिएक्टिव) लेखांकन तथा व्यवस्थापन [समर्पित बैंक लेखा, साख–पत्रों (Letters of Credit-LOC), भुगतान/प्राप्तियां, आदि का प्रबंधन सम्मिलित करते हुए];

(द) अन्य कोई प्रक्रिया, जो राभाप्रेके इस संहिता के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक समझे ।

4.3 प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु वितरण कम्पनी ऊर्जा लेखांकन दल (डीईएजी) को विकसित तथा सुसज्जित किये जाने का कार्य तत्संबंधी वितरण कम्पनी नियंत्रण केन्द्र (डीसीसी) स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन हेतु सम्पन्न करेगी । इस दिशा–निर्देश के अनुसरण में, प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी मासिक प्रतिपालन प्रतिवेदन प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को दाखिल करेगी ।

5. अनुसूचीकरण तथा प्रेषण

5.1 इस धारा में अनुसूचीकरण तथा प्रेषण के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अनुसूचीकरण की पृष्ठभूमि में मुख्य विचारधारा, दिवस–पूर्व आधार पर विद्युत प्रदाय तथा मांग का मिलान किया जाना है । इस धारा को भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता तथा मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के साथ पढ़ा जाएगा ।

अनुसूचीकरण सामान्य सिद्धांत :

5.2 समस्त अनुसूचीकरण 15–मिनट के समय–खण्ड के अन्तर्गत सम्पादित किया जाएगा। इस प्रयोजन से, अनुसूचीकरण को प्रत्येक दिवस हेतु, 00.00 घंटे (बजे) से प्रारंभ होकर 24.00 घंटे (बजे) पर समाप्त होगा जिसे प्रत्येक 15–मिनट की अवधि के 96 बराबर समय–खण्डों में विभाजित किया जाएगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक वितरण कंपनी को आहरण अनुसूची संकलित कर उसे ज्ञापित करेगा तथा प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन को अग्रिम रूप से उत्पादन अनुसूची से अवगत करायेगा ।

5.3 **सुयोग्यता क्रमानुसार प्रचालन (मेरिट आर्डर आप्रेशन)** : विद्युत वितरण कंपनियां उनकी आवश्यकताएं उनके वैयक्तिक सुयोग्यता क्रमानुसार प्रस्तुत करेंगी, अर्थात् वैयक्तिक विद्युत वितरण कंपनी को आवंटित अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन, राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन द्विपक्षीय तथा सामूहिक आदान–प्रदान की ऊर्जा लागत (अर्थात्, परिवर्तनीय लागत) के आरोही (ascending) क्रम में।

5.4 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई किसी विद्युत वितरण कंपनी की शुद्ध आहरण अनुसूची, विभिन्न राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों, अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों के अंशदान तथा कोई द्विपक्षीय आदान–प्रदान, जिन पर विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किसी अन्य अभिकरण के साथ क्षेत्र के अन्दर/बाहर अनुबंधित की गई हो, विद्युत विनिमयों के माध्यम से निष्पादित किये गये सामूहिक आदान–प्रदान तथा खुली पहुंच क्रेताओं की ओर से किये गये आहरण/अन्तःक्षेपण का योग होगा ।

5.5 प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन की उत्पादन अनुसूची, प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रेषित की गई मांगों का योग होगी जो कि उनके स्वत्वाधिकार तक परिसीमित होगी तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अभिव्यक्त किये गये किसी अन्य अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य के मानदण्डों अथवा तकनीकी परिसीमाओं के अध्यधीन होगी।

5.6 विद्युत वितरण कंपनियां अपने स्वयं के आहरण इस प्रकार बनाये रखे जाने के प्रयास करेंगी कि जिस समय भी आवृत्ति (फ्रिक्वेन्सी) सामान्य मान से कम हो, वे ग्रिड से विद्युत का अधिक आहरण न करें तथा जिस समय आवृत्ति सामान्य मान से अधिक हो, वे ग्रिड से विद्युत का कम आहरण न करें। इसी प्रकार, प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन उनके विद्युत उत्पादन इस प्रकार बनाये रखे जाने के प्रयास करेंगे कि जिस समय आवृत्ति का मान सामान्य से अधिक हो, वे अनुसूची से अधिक उत्पादन नहीं करेंगे तथा जिस समय आवृत्ति सामान्य मान से कम हो, वे अनुसूची से कम मात्रा का उत्पादन नहीं करेंगे ।

5.7 संसूचना प्रणाली की असफलता पर विचार किये बिना, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी/पुनरीक्षित की गई उत्पादन अनुसूचियां तथा आहरण अनुसूचियां नामांकित समय–खंड से प्रभावशील हो जाएंगी ।

5.8 किसी विद्युत उत्पादक द्वारा किये गये अनुसूचित उत्पादन के पुनरीक्षण के संबंध में (माने गये किसी कार्योत्तर पुनरीक्षण को सम्मिलित करते हुए), विद्युत वितरण कंपनियों के अनुसूचित आहरणों का तत्संबंधी पुनरीक्षण भी किया जाएगा।

5.9 अनुसूचियों में किये गये परिवर्तनों के संबंध में, समय–घटक (time-factor) पर यथोचित विचार करते हुए, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संसूचना के अभिलेखन हेतु एक प्रक्रिया (ध्वनि–अभिलेखन के साथ समय–मुद्राकंन द्वारा) विकसित की जाएगी ।

5.10 विद्युत उत्पादक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दिवस के दौरान शीर्ष (पीक) समय पर घोषित क्षमता (डिक्लेयर्ड कैपेसिटी–डीसी), शीर्ष–बाहय (ऑफ–पीक) से कम न हो। [अपवाद : विवशजन्य अवरोध (फोर्सड आऊटेज) के कारण इकाईयों में विद्युत का अवरोध (ट्रिपिंग) होना/पुनः–समकालन (रिसिन्क्रोनाईजेशन) किया जाना]

5.11 अनुसूचियों को तैयार करते समय निम्न विशिष्ट बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा :

(अ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह जांच करेगा कि परिणामी विद्युत प्रवाह पारेषण प्रणाली में किसी प्रकार की विवशजन्य परिस्थितियां उत्पन्न न करें । किन्हीं विवशजन्य परिस्थितियों में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र आवश्यक सीमान्तर्गत अनुसूची को युक्तियुक्त कर संबंधित वितरण कम्पनयों को संसूचित करेगा; तथा

(ब) राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह जांच करेगा कि अनुसूचियां, विशेषतः दरों की घटत/बढ़त तथा न्यूनतम तथा अधिकतम उत्पादन स्तरों के अनुपात के संबंध में युक्तियुक्त रूप से प्रचालन योग्य हैं । राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधित वितरण

कंपनियों को संसूचित करते हुए अनुसूची को आवश्यक सीमान्तर्गत युक्तियुक्त करेगा। विभिन्न श्रेणियों के स्टेशनों के संबंध में दरों की घटत/बढ़त, तकनीकी आंकड़ों पर आधारित होगी जैसा कि इनके संबंध में उत्पादन कंपनियों द्वारा इनके बारे में अभिपुष्टि की जाएगी तथा वितरण कंपनियों द्वारा इस हेतु परस्पर सहमति व्यक्त की जाएगी।

5.12 उत्पादन अनुसूचियों को तैयार करते समय, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पारेषण प्रणाली के प्रतिबंधों तथा प्रचालनीय सीमाओं (मार्जिन) के अन्तर्गत (आरक्षित किये गये) उपबंधों को ध्यान में रखा जाएगा।

5.13 विद्युत वितरण कंपनियों की शुद्ध आहरण अनुसूचियों की गणना हेतु, औसत संकोषीय पारेषण हानियों (Average Pooled Transmission Losses) को उनकी आहरण अनुसूचियों के अनुपात में संविभाजित किया जाएगा। साप्ताहिक हानियों की गणना हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

(ए) किसी विशिष्ट सप्ताह हेतु, राज्य पारेषण हानि =[सप्ताह के दौरान, राज्य ग्रिड में कुल शुद्ध अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन)] – [सप्ताह के दौरान, राज्य ग्रिड से कुल शुद्ध आहरण (ड्रावल)];

(बी) nवें सप्ताह में हानि की गणना, (n+1)वें सप्ताह के पांचवे दिवस तक की जाएगी ;

(सी) तत्पश्चात्, इस हानि आंकड़े को (n+2)वें सप्ताह के प्रारंभ से अनुसूचीकरण प्रक्रिया में प्रयोग किया जाएगा ;

(डी) राज्य भार प्रेषण केन्द्र nवें सप्ताह की वास्तविक हानि को (n+2)वें सप्ताह में अनुसूचीकरण हेतु, निकटतम 0.25% तक, पूर्णांक करेगा (उदाहरणतया, 4.70% को 4.75% तक पूर्णांक किया जाएगा, तथा इसी प्रकार 4.35% को 4.25% तक पूर्णांक किया जाएगा, आदि); तथा

(ई) ग्रिड में विशिष्ट प्रकृति की घटनाओं के परिणाम किसी सप्ताह के दौरान असामान्य रूप से उच्च अथवा निम्न स्तर की हानियों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह राज्य में किसी भार में अचानक कमी में आ जाने के रूप में या तो मौसम में किसी विक्षोभ के कारण अथवा किसी वृहद जल–विद्युत पावर स्टेशन के मानसून में जलाशय से किसी रेत (सिल्ट)/कचरे (डेबरिस) की निकासी हेतु, उसे बन्द किये जाने के कारण या कोई मुख्य पारेषण तन्तुपथ(ों), आदि में अवरोध के कारण संभव हो सकता है। जहां तक अनुसूचीकरण प्रक्रिया का संबंध है, इन असामान्य सप्ताहों हेतु, हानियों की सामान्यतः उपेक्षा की जाएगी । इस संबंध में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र का निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

5.14 जबकि राज्य क्षेत्र उत्पादक कंपनी की उपलब्धता की घोषणा की परिशुद्धता (रेसोल्यूशन) 0.1 मेगावाट तथा 0.1 मेगावाट ऑवर की होगी, समस्त स्वत्वाधिकारों (एन्टाईटलमेंट्स), मांगों तथा अनुसूचियों को निकटतम दशमलव तक पूर्णांक किया जाएगी, जिससे कि 0.01 मेगावाट की परिशुद्धता प्राप्त की जा सकें ।

5.15 राज्य भार प्रेषण केन्द्र उपरोक्त कण्डिकाओं 5.2 से 5.14 तक की समस्त जानकारी को उचित रूप से उनकी वैबसाईट पर अभिलेखित करेगा, जिसमें विद्युत उत्पादक स्टेशनों के परामर्शानुसार स्टेशनवार एक्स पावर संयंत्र से उद्भूत दृष्टव्य (फोरसीन) योग्यताएं, अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों के स्वत्वाधिकार, वितरण कंपनियों के परामर्शानुसार आहरण अनुसूचियां, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई समस्त अनुसूचियों तथा उपरोक्त दर्शाये गये आंकड़ों के समस्त पुनरीक्षणों/जानकारी को अद्यतन करते हुए वैबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

अनुसूचियों का पुनरीक्षण किया जाना : सामान्य सिद्वान्त

5.16 किसी उत्पादन इकाई के विवशजन्य अवरोध की दशा में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र अनुसूचियों का पुनरीक्षण राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन द्वारा घोषित पुनरीक्षित योग्यता (Capability) के आधार पर करेगा। पुनरीक्षित घोषित योग्यता तथा पुनरीक्षित अनुसूचियां चौथे समय–खण्ड से प्रभावशील हो जाएंगे तथा प्रथम समय–खंड की गणना उस समय–खंड से की जाएगी जिसके संबंध में राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन द्वारा उसके सर्वप्रथम होने का परामर्श दिया जाए ।

5.17 राज्य पारेषण इकाई अथवा राज्यान्तरिक पारेषण में सन्निहित अन्य कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी [जैसा कि इसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके) द्वारा प्रमाणित किया जाए] के स्वामित्व वाली पारेषण प्रणाली, संबद्ध स्विचयार्ड अथवा उपकेन्द्रों में किसी प्रतिबन्ध, विवशजन्य अवरोध, इसके असफल होने अथवा परिसीमाओं के कारण विद्युत की निकासी में किसी अड़चन होने की दशा में, जिसके कारण विद्युत उत्पादन में कमी की जाना आवश्यक हो, राभाप्रेके अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा, जो कि चौथे समय–खंड से प्रभावशील होगा, जिसकी गणना उस समय–खंड को प्रथम मानकर की जाएगी जिसमें कि विद्युत की निकासी में अड़चन सर्वप्रथम होना पाई गई हो। इसके अतिरिक्त, ऐसी किसी घटना के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय समय–खंड के दौरान, राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन का अनुसूचित उत्पादन वास्तविक उत्पादन के बराबर पुनरीक्षित किया गया माना जाएगा तथा वितरण कंपनियों के अनुसूचित आहरण वास्तविक आहरणों के बराबर पुनरीक्षित किये गये माने जाएगे।

5.18 ग्रिड में किसी प्रकार के विक्षोभ होने की दशा में, समस्त राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों का अनुसूचित उत्पादन तथा वितरण कम्पनियों का अनुसूचित आहरण ग्रिड विक्षोभ द्वारा प्रभावित समस्त समय–खंडों हेतु उनके वास्तविक उत्पादन/आहरण के बराबर पुनरीक्षित किया गया माना जाएगा। इस प्रकार के ग्रिड विक्षोभ की सटीक अवधि क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पारस्परिक सहमति के आधार पर तैयार किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार घोषित की जाएगी ।

5.19 दिवस की अवशेष अवधि हेतु, राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन(ों) की घोषित क्षमता तथा वितरण कंपनी/कंपनियों की आवश्यकता का पुनरीक्षण पूर्व–सूचना द्वारा भी अनुज्ञेय किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में पुनरीक्षित अनुसूचियां/घोषित योग्यता छठे समय–खंड से प्रभावशील हो जाएंगी जिसके लिये समय–खंड की गणना उक्त समय–खंड को प्रथम मानकर की जाएगी जिसमें कि पुनरीक्षण हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इस हेतु अनुरोध सर्वप्रथम प्राप्त किया गया हो ।

5.20 इसी प्रकार, यदि किसी प्रकरण में विद्युत वितरण कम्पनी द्विपक्षीय अनुसूचियों को पुनरीक्षित किये जाने की इच्छा व्यक्त करती है तो ऐसी दशा में इसके संबंध में अन्य इकाई को एक घंटे के भीतर इसकी पुष्टि करनी होगी । ऐसे प्रकरण में, पुनरीक्षित अनुसूची छटवें समय–खण्ड से प्रभावशील हो जाएगी, जिसके लिये समय–खण्ड की गणना उक्त समय–खण्ड को प्रथम मानकर की जाएगी, जिसके अन्तर्गत राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुसूची के पुनरीक्षण हेतु अनुरोध सर्वप्रथम प्राप्त किया गया हो ।

5.21 यदि, किसी भी समय–बिन्दु पर (क्षण), राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यह पाया जाता है कि प्रणाली के बेहतर प्रचालन के हित में अनुसूचियों का पुनरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है, तो ऐसा वह स्वयं द्वारा भी कर सकेगा तथा ऐसे प्रकरणों में, पुनरीक्षित अनुसूचियां चौथे समय–खंड से प्रभावशील हो जाएंगी तथा इस हेतु, उस समय–खंड को प्रथम माना जाएगा जिसमें कि राभाप्रेके द्वारा, इस हेतु, पुनरीक्षित अनुसूची सर्वप्रथम जारी की गई हो ।

5.22 यदि किसी अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन से कोई पुनरीक्षण प्राप्त किया गया हो, तो ऐसी दशा में क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र वास्तविक समय–आधार पर जानकारी को (केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की विनियमों/आदेशों की अर्हताओं के अनुसार) तत्क्षण प्रसारित करेगा जिसके अंतर्गत अनुसूची हेतु सुसंगत जानकारी संलग्न की जाएंगी जिसके आधार पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र पुनरीक्षण की कार्यवाही समानान्तर रूप से करेगा । क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु पुनरीक्षित कार्यान्वयन समय एक समान रहेगा।

कार्यान्वित की गई अनुसूचियां :

5.23 प्रचालन तिथि की समाप्ति पर 24.00 घंटे (बजे) पर, दिवस के दौरान अन्तिम रूप से कार्यान्वित की गई अनुसूची राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा (उत्पादक स्टेशनों की प्रेषण अनुसूची में वस्तुस्थिति से पूर्व के परिवर्तनों तथा वितरण कम्पनियों की आहरण अनुसूची पर विचार करते हुए) तीन (3) दिवस के अन्दर जारी कर दी जाएगी । ये अनुसूचियां वाणिज्यिक लेखांकन का आधार बनेंगी । प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन हेतु औसत एक्स बस योग्यता की गणना राज्य भार प्रेषण केन्द्र को वस्तुस्थिति पूर्व के परामर्श के आधार पर की जाएंगी ।

5.24 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किये गये अनुसूचीकरण तथा अन्तिम रूप से कार्यान्वित की गई अनुसूचियों हेतु प्रक्रिया समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों हेतु किसी जांच/सत्यापन के लिये 5 (पांच) दिवस की अवधि हेतु खुली रहेगी । यदि किसी प्रकार की त्रुटि/चूक पाई जाती है तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र अविलंब इसकी जांच करेगा तथा इसमें आवश्यक सुधार करेगा ।

समयावली तथा उत्तरदायित्व सारणी

समय तक समाप्त कर ली जाएगी	गतिविधि का स्वरूप	प्राथमिक उत्तरदायित्व
10.00 घंटे (बजे)	(i) पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को मध्यप्रदेश राज्य हेतु प्रत्येक अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन में मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर स्वत्वाधिकार (Entitlements) आगामी दिवस हेतु 00.00 घंटे से प्रारंभ होने वाले 15–मिनट के समय–खण्ड हेतु सूचित करेगा। (ii) म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल)* राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके) 00.00 घंटे पर प्रारंभ होने वाली अवधि बाबत प्रत्येक 15–मिनट के समय–खण्ड में एक्स पावर संयंत्र मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर क्षमताओं की अनुशंसा करेगी । (iii) स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) राभाप्रेके को स्टेशन वार एक्स विद्युत संयंत्र उनके मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर अन्तःक्षेप आगामी दिवस को 00.00 घंटे पर प्रारंभ होने वाली अवधि बाबत प्रत्येक 15–मिनट समय–खण्ड हेतु अनुशंसा करेगा । (iv) इन्दिरा सागर परियोजना (आईएसपी), ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, अंशदान वाले स्टेशन तथा अन्य कोई स्टेशन, जो उपरोक्त सरल क्रमांक (i), (ii) तथा (iii) के अंतर्गत नहीं आते, राभाप्रेके को एक्स विद्युत संयंत्र मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर की संभावित क्षमताओं को प्रत्येक 15–मिनट के समय–खण्ड में आगामी दिवस को 00.00 घंटे पर प्रारंभ होकर 24.00 घंटे (बजे) पर समाप्त होने वाली अवधि बाबत अनुशंसा करेंगे ।	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केंद्र (WRLDC) का एमपीजीसीएल उत्पादन नियंत्रण केन्द्र (जीसीसी)का स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) का तत्संबंधी स्टेशन का
12.00 घंटे (बजे)	(i) राभाप्रेके, समस्त विद्युत उत्पादक स्टेशनों से कुल एक्स–पावर संयंत्र उपलब्धता मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर में संकलित करेगा। (ii) राभाप्रेके स्टेशनवार तथा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी के कुल मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर स्वत्वाधिकारों की गणना आगामी दिवस हेतु, प्रत्येक 15 मिनट के समय–खण्ड हेतु करेगा तथा इसे एमपी ट्रेडिंग कम्पनी को सूचित करेगा ।	राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके) का
12.00 घंटे (बजे)	प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी उसकी कुल मेगावाट आवश्यकता एमपी ट्रेडको को प्रदान करेगी जिसकी गणना उसके दिवस–पूर्व	संबंधित विद्युत वितरण कंपनी का

	भार पूर्वानुमान प्रत्येक 15–मिनट के समय–खंड में आगामी दिवस हेतु 00.00 घंटे पर प्रारंभ होने वाली अवधि पर आधारित पूर्व वर्ष की वास्तविक राज्य पारेषण हानियों को सकलबद्ध (Gross up) करते हुए, की जाएगी।	
13.00 घंटे (बजे)	एमपी ट्रेडको वितरण कंपनियों के पक्ष में **प्रत्येक** वितरण कंपनी हेतु पृथक–पृथक सुयोग्यता क्रमानुसार (मेरिट–आर्डर) अनुसूचीकरण विद्युत उत्पादन संयंत्र से उद्भूत (एक्स पावर प्लांट) उसकी मेगावाट आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु संचालित करेगी । एमपी ट्रेडको प्रत्येक वितरण कंपनी हेतु बचत/घाटे वाली मेगावाट मात्रा की गणना करेगी। **प्रत्येक** वितरण कंपनी हेतु, एमपी ट्रेडको (प्रत्येक समय–खंड) में निम्नानुसार तुलना करेगी : (ए) किसी निर्दिष्ट वितरण कंपनी हेतु, कुल एक्स पावर प्लांट मेगावाट स्वत्वाधिकार (बी) किसी निर्दिष्ट वितरण कंपनी हेतु, कुल एक्स पावर प्लांट मेगावाट मांग **प्रत्येक** वितरण कंपनी हेतु, एमपी ट्रेडको विद्युत वितरण कम्पनियों से परामर्श द्वारा निम्न निर्णय लेगीः यदि (ए) < (बी), मप्र ट्रेडको निम्न पहलुओं पर उचित निर्णय लेगी : (i) अन्य स्त्रोतों (अन्य विद्युत वितरण कंपनी/राज्य/व्यापारी) से विद्युत की कमी की आपूर्ति हेतु विद्युत क्रय किया जाना (ii) किसी निर्दिष्ट कंपनी हेतु बराबर भार की कमी की कटौती करना जिससे कि वे (ए) तथा (बी) मेल से खायें, अथवा (iii) मांग न किये गये (un-requisitioned) उत्पादन (यदि कोई हो) को प्रेषित करना अथवा (iv) उपरोक्त विकल्पों में से, किसी प्रकार का संयोजन किया जाना यदि (ए) > (बी), तो मप्र ट्रेडको निम्न पहलुओं पर उचित निर्णय लेगी : (i) अन्य क्रेताओं (अन्य वितरण कंपनी/राज्य/व्यापारी) को बचत की गई विद्युत मात्र का विक्रय किया जाना (ii) सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण को दृष्टिगत रखते हुए, उत्पादक(ों) द्वारा विद्युत उत्पादन कम किये जाने के बारे में कहा जाना अथवा (iii) विद्युत प्रदाय संबंधी प्रतिबन्धों को हटाते हुए, अतिरिक्त मांग की आपूर्ति किया जाना, अथवा (iv) उपरोक्त विकल्पों में से किसी प्रकार का संयोजन किया जाना। उपरोक्त निर्णयों के आधार पर, एमपी ट्रेडको, वितरण कंपनी–वार मेगावाट मांग, प्रत्येक उत्पादन स्टेशन पर, तैयार करेगी तथा इसे राभाप्रेके को संसूचित करेगी।	एमपी ट्रेडको का विद्युत वितरण कंपनियों के परामर्श से एमपी ट्रेडको का
14.00 घंटे (बजे)	एमपीट्रेडको, राभाप्रेके को विद्युत वितरण कम्पनीवार उसके प्रत्येक विद्युत उत्पादक स्टेशन पर एक्स–विद्युत संयंत्र मेगावाट मांग, मय दीर्घ–अवधि द्विपक्षीय लेन–देन, अनुमोदित किये गये लघु–अवधि द्विपक्षीय लेन–देन तथा विद्युत विनिमयों के माध्यम से सामूहिक लेन देन संसूचित करेगी ।	एमपी ट्रेडकों का विवरण कम्पनियों के परामर्श से
15.00 घंटे (बजे)	राभाप्रेके, पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र को प्रत्येक अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन संबंधी मप्र राज्य की समन्वित मांग मय दीर्घ	राभाप्रेके का

	अवधि द्विपक्षीय लेन–देन, अनुमोदित लघु–अवधि द्विपक्षीय लेन–देन तथा विद्युत विनिमयों के माध्यम से सामूहिक लेन–देन संसूचित करेगा ।	
17.00 घंटे (बजे)	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को मप्र राज्य की आहरण अनुसूची (केन्द्रीय पारेषण इकाई –राज्य पारेषण इकाई अंतर्मुख पर)आगामी दिवस हेतु 15–मिनट के प्रत्येक समय–खंड हेतु अवगत करायेगा।	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र का
18.00 घंटे (बजे)	(i) राभाप्रेके, प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन की एक्स पावर प्लांट मेगावाट उत्पादन अनुसूचियों तथा प्रत्येक वितरण कंपनी की मेगावाट आहरण अनुसूचियों को (एक्स विद्युत संयंत्र तथा राज्य पारेषण इकाई–वितरण कम्पनी अर्न्तमुख पर) अन्तिम रूप देगा। (ii) राभाप्रेके, तत्संबंधी राज्य क्षेत्र उत्पादन स्टेशन की उत्पादन अनुसूचियों को संसूचित करेगा । (iii) राभाप्रेके, एमपीट्रेडको / तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनी को आहरण अनुसूचियां संसूचित करेगा ।	राभाप्रेके का राभाप्रेके का राभाप्रेके का
21.30 घंटे (बजे)	राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन / विद्युत वितरण कम्पनियां राभाप्रेके को उपरोक्त अनुसूचियां में किये जाने वाले परिवर्तनों के संबंध में सूचित कर सकेगी ।	राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन / विद्युत वितरण कम्पनी का
22.00 घंटे (बजे)	राभाप्रेके पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र को अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों के अन्तर्गत समस्त परिवर्तनों के संबंध में तथा अन्तर्राज्यीय लेन–देन (यदि कोई हो) के संबंध में संसूचित करेगा ।	राभाप्रेके का
23.30 घंटे (बजे)	पश्चिमी भार प्रेषण केन्द्र से 23.00 घंटे पर मध्यप्रदेश राज्य की अन्तिम आहरण अनुसूची की प्राप्ति उपरान्त तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उल्लेखित समस्त परिवर्तनों पर विचारोपरांत, राभाप्रेके तत्संबंधी राज्य क्षेत्र उत्पादक कम्पनी को अन्तिम उत्पादन अनुसूचियां तथा एमपीट्रेडको / तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनी को अन्तिम आहरण अनुसूचियां जारी करेगा ।	राभाप्रेके का
प्रचाालन दिवस के दौरान	राभाप्रेके इस संहिता के उपबंधों के अनुसार किसी राज्यान्तिक इकाई की अनुसूची को पुनरीक्षित कर सकेगा।	राभाप्रेके का
तीन दिवस के भीतर	राभाप्रेके समस्त कार्योत्तर पुनरीक्षणों को सम्मिलित करते हुए, कार्यान्वित अनुसूचियां तथा प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन हेतु, अन्तिम एक्स पावर प्लांट योग्यता तैयार करेगा ।	राभाप्रेके का

**एमपीपीजीसीएल के समस्त जल–विद्युत स्टेशन मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के अनुसार घोषित क्षमता एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करेंगे । राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उत्पादन अनुसूची एमपी जनको द्वारा जल विद्युत पावर स्टेशनों की घोषित क्षमता के आधार पर जारी की जाएगी ।*

6. ऊर्जा मापयंत्र व्यवस्था (एनर्जी मीटरिंग)

6.1 राज्य पारेषण इकाई, राज्यान्तरिक इकाईयों के समस्त अन्तर्मुख बिन्दुओं पर विशेष ऊर्जा मापयंत्रों की संस्थापना वास्तविक शुद्ध मेगावाट ऑवर विनिमय (इन्टरचेन्जेज) तथा एमवीएआरएच आहरणों के अभिलेखन हेतु करेगी । संस्थापित किये जाने वाले मापयंत्रों के प्रकार, मापयंत्र योजना, मापयंत्र क्षमता, परीक्षण तथा अंशाकन अर्हताएं एवं मीटरीकृत आंकड़ों के संग्रहण तथा प्रचार–प्रसार से संबंधित प्रावधान भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अध्याय 6 के परिशिष्ट 2 में विनिर्दिष्ट अनुरूप होंगे। समस्त संबंधित राज्यान्तरिक इकाईयां (जिनके परिसरों में विशेष ऊर्जा मापयंत्र संस्थापित किये गये हों) पूर्णतया राज्य पारेषण इकाई / राज्य भार प्रेषण केन्द्र को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा

साप्ताहिक मापयंत्र वाचन लेने तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इसके संप्रेषण में आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे ।

6.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन के वास्तविक शुद्ध मेगावाट ऑवर अन्तःक्षेपण की गणना करने तथा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी के उपरोक्त मापयंत्र वाचन के आधार पर 15 मिनट समय–खण्डवार वास्तविक शुद्ध आहरण, तथा राज्य ऊर्जा लेखा तैयार किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा। समस्त 15 मिनट–वार ऊर्जा आंकड़े (शुद्ध अनुसूचित किये गये, वास्तविक रूप से मीटरीकृत किये गये तथा असूचीबद्ध विनिमय) निकटतम 0.01 मेगावाट ऑवर तक पूर्णांक किये जाएंगे । राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा की गई समस्त गणनाएं समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों की जांच/सत्यापन हेतु 15 दिवस की अवधि हेतु अवलोकनार्थ रखी जाएंगी । यदि ऊर्जा मीटरीकरण, राज्य ऊर्जा लेखे, राज्य असूचीबद्ध विनिमय लेखे राज्य प्रतिक्रिय लेखें के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि इंगित की जाती है, तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सम्पूर्ण जांच की जाएगी तथा त्रुटि का सुधार किया जाएगा ।

6.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जारी किये जा रहे प्रेषण तथा शुद्ध आहरण के वास्तविक विचलन की समीक्षा नियतकालिक रूप से करेगा । यदि ऐसा किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो मामले को इस संहिता के उपबंधों के अनुसार गठित की गई स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

7. ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन :

राज्य ऊर्जा लेखा (स्टेट एनर्जी अकाउण्ट – एसईए)

7.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र आगामी माह की सातवीं तिथि के अन्त तक प्रावधिक मासिक राज्य ऊर्जा लेखा (एसईए) तैयार कर, इसे माह की 21 वीं तिथि तक अन्तिम करेगा । राज्य ऊर्जा लेखा में स्थूल रूप से निम्न जानकारी सम्मिलित की जाएगी :

(ए) प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन हेतु माह के दौरान प्राप्त किया गया संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफएम) का विवरण प्रतिशत में;

(बी) राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन द्वारा घोषित क्षमता की मिथ्य–घोषणा (मिसडिकलेरेशन) संबंधी विवरण (यदि कोई हो);

(सी) अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन तथा राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को अनुसूचित ऊर्जा संबंधी विवरण;

(डी) प्रोत्साहन भुगतान के प्रयोजन से, लक्ष्य संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor-PLF) से अधिक अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन तथा राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को अनुसूचित ऊर्जा संबंधी विवरण (अनुसूचित विद्युत उत्पादन पर आधारित);

(ई) अनुसूचित द्विपक्षीय लेन–देन [प्रत्यक्ष अथवा व्यापारियों (ट्रेडर्स) से] तथा ऊर्जा विनिमयों के माध्यम से सामूहिक आदान–प्रदान संबंधी विवरण;

(एफ) अन्य कोई विवरण, जिनके संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य ऊर्जा लेखा को संपूर्ण किया जाना उचित समझता हो ।

7.2 विद्युत वितरण कम्पनियां (एमपीट्रेडको के माध्यम से) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की सुसंगत अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अनुसार, संबंधित अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन को अनुसूचित प्रेषण हेतु (एक्सपावर संयंत्र आधार पर), संयंत्र उपलब्धता तथा ऊर्जा प्रभारों तथा संयंत्र प्रभार कारक (पीएलएफ) प्रोत्साहन (यदि वे लागू हो) से तत्संबंधी क्षमता प्रभारों का भुगतान करेंगी । इन प्रभारों से संबंधित देयक तत्संबंधी अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन द्वारा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी को (एमपीट्रेडकों के माध्यम से) मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे ।

7.3 विद्युत वितरण कम्पनियां (एमपीट्रेडको के माध्यम से) मप्रविनिआ की सुसंगत अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अनुसार संबंधित राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन को क्षमता अनुसूचित प्रेषण हेतु (एक्स पावर संयंत्र आधार पर), संयंत्र उपलब्धता तथा ऊर्जा प्रभारों तथा संयंत्र प्रभार कारक (पीएलएफ) प्रोत्साहन (यदि वे लागू हो) से तत्संबंधी क्षमता प्रभारों का भुगतान करेगी। इन प्रभारों से संबंधित देयक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन द्वारा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी को (एमपी ट्रेडको के माध्यम से) मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे ।

राज्य ऊर्जा असूचीबद्ध विनिमय लेखा (स्टेट एनर्जी यूआई अकाउण्ट – एसयूए)

7.4 राज्य भार प्रेषण केन्द्र सप्ताह के अन्तिम दिवस से दस दिन के अन्दर प्रावधिक साप्ताहिक राज्य असूचीबद्ध विनिमय (यू आई) लेखा (एसयूए) तैयार करेगा तथा इसे जारी करेगा तथा उसे आगामी 5 (पांच) दिवस के अन्दर अन्तिम रूप देगा । राज्य ऊर्जा असूचीबद्ध विनियम लेखों में स्थूल रूप से निम्न जानकारी सम्मिलित की जाएगी :

(ए) वर्तमान में प्रचलित असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) की टैरिफ संरचना का विवरण;

(बी) प्रत्येक राज्यान्तरिक इकाई के दिवसवार तथा कुल असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) के संव्यवहारों के विवरण (विवरण में सम्मिलित होंगे, अनुसूचित ऊर्जा, वास्तविक ऊर्जा, असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) भुगतान (असमायोजित) तथा असूचीबद्ध विनिमय भुगतान (मिलान किये गये);

(सी) संक्षेपिका तालिका, जिसमें बाईं ओर समस्त भुगतान करने वाली इकाईयों की सूची (मय उनके द्वारा भुगतान किये जाने वाली शुद्ध राशि संबंधी जानकारी के) दर्शाई जाएंगी तथा दायीं ओर समस्त प्राप्तिकर्ता इकाईयों की सूची (मय उनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली शुद्ध राशि संबंधी जानकारी के) दर्शाई जाएगी;

(डी) पारेषण के प्रतिबंधों तथा ग्रिड विक्षोभ के कारण असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) के समय–खंडों के स्थगन के विवरण;

(ई) अन्य कोई विवरण, जिन्हें कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य ऊर्जा असूचीबद्ध विनिमय लेखा को संपूर्ण किये जाने हेतु उचित समझता हो ।

7.5 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा क्षेत्रीय असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) संकोष लेखा में भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) की समन्वित राशि को पश्चिमी क्षेत्र ऊर्जा समिति (वेस्टर्न रीजन पावर कमेटी–डब्लूआरपीसी) द्वारा तैयार तथा प्रसारित किये गये साप्ताहिक क्षेत्रीय असूचीबद्ध विनिमय (यू आई) लेखा से प्राप्त किया जाएगा ।

7.6 प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु वास्तविक आहरण तथा अनुसूचित आहरण की तुलना असूचीबद्ध विनिमयों (यूआई) की गणना हेतु की जाएगी । प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी की असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) ऊर्जा की गणना 15–मिनट आधार पर वास्तविक आहरण में से अनुसूचित आहरण को घटा कर की जाएगी । इसी प्रकार, प्रत्येक विद्युत उत्पादक स्टेशन के असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) ऊर्जा की गणना 15–मिनट आधार पर वास्तविक अन्तःक्षेप में से अनुसूचित अन्तःक्षेप घटाकर की जाएगी । असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) ऊर्जा को तत्पश्चात असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) राशि में परिवर्तन प्रत्येक समय–खण्ड की असूचीबद्ध विनिमय दर पर जो कि उक्त समय खण्ड में औसत ग्रिड आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) से तत्संबंधी है से गुणा कर किया जाएगा । सप्ताह के दौरान इसी प्रकार की गणना, समस्त समय–खण्डों हेतु भी की जाएगी ।

7.7 राज्य में सक्रिय (Active) ऊर्जा आदान–प्रदान हेतु निम्न नियम लागू होंगे :

(ए) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा अधिक विद्युत आहरण (ओवर–ड्रावल) हेतु भुगतान–योग्य (+)राशि;

(बी) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा कम विद्युत आहरण (अण्डर–ड्रावल) हेतु प्राप्ति–योग्य (-)राशि;

(सी) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा अधिक विद्युत उत्पादन (ओवर–जनरेशन) हेतु प्राप्ति–योग्य (+)राशि;

(डी) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा कम विद्युत उत्पादन (अण्डर–जनरेशन) हेतु प्राप्ति–योग्य (+)राशि.

7.8 किसी निर्दिष्ट दिवस हेतु, प्रत्येक राज्यान्तरिक इकाई द्वारा कुल भुगतान–योग्य / कुल प्राप्ति– योग्य राशि तथा मध्यप्रदेश राज्य द्वारा क्षेत्रीय असूचीबद्ध विनिमय (यू.आई.) राशि (भुगतान–योग्य / प्राप्ति–योग्य) को कुल भुगतान–योग्य तथा कुल प्राप्ति–योग्य राशियों के औसत से मिलान किया जाएगा । किसी निर्दिष्ट सप्ताह हेतु, राज्यान्तरिक इकाई हेतु शुद्ध असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) भुगतान–योग्य (+) / प्राप्ति–योग्य (–) राशि सप्ताह के समस्त दिवसों हेतु मिलान किये गये असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) भुगतान–योग्य (+) / प्राप्ति–योग्य (–) का अंकगणितीय योग होगा ।

7.9 किसी राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन से प्राप्त की गई अस्थाई (इन्फर्म) ऊर्जा को असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) के रूप में लेखांकित किया जाएगा तथा इसका भुगतान राज्य असूचीबद्ध विनिमय (यू आई) संकोष लेखा से आवृत्ति से संबंद्ध प्रयोज्य असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) दर के अनुसार (केविनिआ द्वारा निर्धारित दर के अध्यधीन यदि वह लागू हो) किया जाएगा । आयोग के आगामी आदेश तक, असूचीबद्ध विनिमय (यू.आई.) कार्यविधि को एमपीपीजीसीएल के बहु–उद्देशीय जल–विद्युत स्टेशनों हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाएगा ।

7.10 अन्तर्राज्यीय खुली पहुंच क्रेताओं की असंतुलित मात्राएं (यदि वे विद्यमान हों), जो कि राज्य प्रणाली में आरोपित हैं, का व्यवस्थापन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2008 अर्थात् CERC (Open Access in Inter-State Transmission), Regulations, 2008 में विनिर्दिष्ट की गई कार्यविधि के अनुसार किया जाएगा । जब तक कि आयोग राज्यान्तरिक खुली पहुंच क्रेताओं हेतु (यदि वे विद्यमान हों) असंतुलन की मात्राओं के व्यवस्थापन के विवरण विनिर्दिष्ट नहीं कर देता है, राज्यान्तरिक इकाई हेतु, असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) दर, क्षेत्रीय इकाई की सीमा पर असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) दर का 105 प्रतिशत (विद्युत के अधिक आहरण अथवा कम उत्पादन हेतु) तथा 95 प्रतिशत (विद्युत के कम आहरण तथा अधिक उत्पादन हेतु) होगी । विद्युत उत्पादक कम्पनियों को प्रयोज्य दरों के अनुसार भुगतान–योग्य / प्राप्ति–योग असूचीबद्ध विनिमय दर कोयला अथवा लिग्नाईट अथवा ईंधन के रूप में प्रबंधित कीमत कार्यविधि (Administred Price Mechanism - APM) के अन्तर्गत प्रदाय की गई कोयला उपयोग करने वाली विद्युत उत्पादक कम्पनियों हेतु ऐसी दशा में, जबकि वास्तविक विद्युत उत्पादन, अनुसूचित उत्पादन से अधिक हो, अधिकतम दर 406 पैसे प्रति किलोवॉट ऑवर के अध्यधीन निर्धारित की जाएगी ।

बशर्तें यह कि विद्युत उत्पादक स्टेशनों से घोषित क्षमता (डीसी) का 15 मिनट के समय–खण्ड के अन्तर्गत 105 प्रतिशत तक का कोई भी विद्युत उत्पादन, जो कि दिवस के अन्तर्गत घोषित क्षमता के 101 प्रतिशत तक के औसत तक रहता हो, को अनुचित वृत्ति (गेंमिंग) नहीं माना जाएगा । तद्नुसार, 15 मिनट के किसी समय–खण्ड हेतु अन्तःक्षेप अनुसूची के 105 प्रतिशत को, जो कि अन्तःक्षेप अनुसूची के 101 प्रतिशत तक की औसत सीमा तक रहता हो, को असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) हेतु कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को अनुज्ञेय किया गया है ।

7.11 असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) प्रभारों का व्यवस्थापन राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संचालित किये जाने वाले राज्य असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) संकोष लेखा के माध्यम से किया जाएगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (जिसकी शाखा कार्यालय जबलपुर में हो) के साथ एक पृथक बैंक खाता खोला तथा संधारित किया जाएगा ।

7.12 असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा संबंधित इकाई को दर्शाई गई राशि का भुगतान राज्य ऊर्जा असूचीबद्ध विनिमय लेखा विवरण–पत्र जारी होने के 10 (दस) दिवस के अन्दर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संचालित किये जाने वाले राज्य असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) संकोष लेखा में करना होगा । वह इकाई जिसे असूचीबद्ध विनिमय से संबंधित

भुगतान प्राप्त करना हो, उसे तत्पश्चात यह भुगतान राज्य असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) संकोष लेखा में से 3 (तीन) कार्यकारी दिवस के भीतर किया जाएगा।

7.13 यदि असूचीबद्ध विनिमय प्रभारों के विरूद्ध भुगतानों में दो दिवस से अधिक का विलंब होता है, अर्थात् राज्य ऊर्जा असूचीबद्ध विनिमय लेखा विवरण–पत्र जारी होने से 12 (बारह) दिवस से अधिक का, तो ऐसी दशा में चूककर्ता इकाईयों को 0.04 प्रतिशत के साधारण ब्याज प्रतिदिवस की दर से विलंब हेतु भुगतान करना होगा । इस प्रकार एकत्रित की गई ब्याज राशि का भुगतान उन इकाईयों को किया जाएगा, जिनके द्वारा यह राशि प्राप्त की जानी थी तथा जिनके भुगतान के संबंध में विलंब हो चुका है।

7.14 इसके अतिरिक्त, तीनों विद्युत वितरण कम्पनियां तथा वे विद्युत उत्पादक जिनकी क्षमता तथा ऊर्जा प्रभारों का भुगतान विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, द्वारा अप्रतिवर्तनीय (irrevocable), आवर्ती (revolving) पुष्टिकृत (confirmed) तथा गैर–वैकल्पिक (non-recourse) साख–पत्र (Letter of Credit-LoC) ''एमपीएसएलडीसी–यूआई फण्ड–एमपीपीटीसीएल'' के पक्ष में एक राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के साथ, जिसका शाखा कार्यालय जबलपुर में हो, खोला जाएगा । साख–पत्र की लागत, तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनी अथवा विद्युत उत्पादक द्वारा वहन की जाएगी । साख–पत्र की प्रारंभिक राशि प्रथम त्रैमास हेतु रू. 10 लाख प्रति राज्यान्तरिक इकाई होगी, जिसे कि प्रत्येक त्रैमास में पुनरीक्षित किया जाएगा तथा जो कि पिछले त्रैमास के औसत साप्ताहिक असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) भुगतान के बराबर होगी ।

राज्य प्रतिक्रिय लेखा (स्टेट रिएक्टिव अकाउण्ड – एसआरए)

7.15 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, (समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों को) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा मप्रविनिआ ग्रिड संहिता की अर्हताओं का प्रतिपालन करते हुए प्रावधिक साप्ताहिक राज्य प्रतिक्रिय लेखा (एसआरए) सप्ताह के अन्तिम दिवस से दसवें दिवस के अन्दर तैयार करेगा तथा इसे जारी करेगा, जिसे कि आगामी 5 (पांच) दिवस के अन्दर अन्तिम किया जाएगा । राज्य प्रतिक्रिय लेखे में स्थूल रूप से निम्न जानकारी सम्मिलित की जाएगी :

(ए) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, न्यून वोल्टेज (<97%) तथा उच्च वोल्टेज (>103%) के दौरान दिवसवार शुद्ध प्रतिक्रिय ऊर्जा अन्तःक्षेपण/आहरण के विवरण;

(बी) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु न्यून वोल्टेज (<97%) तथा उच्च वोल्टेज (>103%) के दौरान साप्ताहिक कुल शुद्ध प्रतिक्रिय ऊर्जा अन्तःक्षेपण/आहरण की संक्षेपिका;

(सी) विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य प्रतिक्रिय प्रभारों की संक्षेपिका [टीपः प्रतिक्रिय ऊर्जा की दर रू. 5.75 पैसे प्रति केवीएआरएच (दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावशील) मानी जाएगी, जिसमें 0.25 पैसे/वर्ष की वृद्धि की जाएगी जो कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर किये गये पुनरीक्षण संबंधी आदेश के अध्यधीन होगी]; तथा

(डी) अन्य कोई विवरण, जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य प्रतिक्रिय लेखा को संपूर्ण किये जाने के संबंध में उचित समझे ।

7.16 राज्य में प्रतिक्रिय ऊर्जा लेन–देन हेतु निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

(ए) वोल्टेज (V) 97% से कम होने पर, आहरण (ड्रावल) हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भुगतान–योग्य (+) राशि

(बी) वोल्टेज (V) 97% से कम होने पर, अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन) हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्राप्ति योग्य (-) राशि

(सी) वोल्टेज (V) 103% से अधिक होने पर, अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन) हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्राप्ति योग्य (-) राशि

(डी) वोल्टेज (V) 103% से अधिक होने पर, आहरण (ड्रावल) हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्राप्ति योग्य (-) राशि

7.17 उपरोक्त परिच्छेदों में कथन किये गये के बावजूद, ऐसी दशा में जबकि ग्रिड की सुरक्षा अथवा किसी उपकरण का बचाव संकटापन्न हो, राज्य भार प्रेषण केन्द्र किसी विद्युत वितरण कम्पनी को उसके प्रतिक्रिय आहरण/अन्तःक्षेपण में कटौती किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित कर सकेगा । समस्त राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के दिशा–निर्देशों के अनुरूप तत्संबंधी विद्युत उत्पादक इकाईयों की क्षमता सीमाओं के अन्तर्गत प्रतिक्रिय ऊर्जा का उत्पादन अन्तर्लीन (absorb) करेंगे, जो कि तत्समय में वांछित सक्रिय विद्युत उत्पादन के त्याग की कीमत पर कदापि न होंगें । राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन को ऐसे वार (VAR) उत्पादन/अन्तर्लयन (absorption) हेतु किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार, राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन को भी ऐसे वार उत्पादन/अन्तर्लयन हेतु किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा ।

7.18 प्रतिक्रिय ऊर्जा का व्यवस्थापन (Reactive Energy Settlement) निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा :

पारिभाषिक शब्दावली :

RRC : म.प्र. राज्य द्वारा भुगतान–योग्य (+)/प्राप्ति–योग्य (–) क्षेत्रीय प्रतिक्रिय प्रभार (रीजनल रीएक्टिव चार्जेस) होंगे

SRC_P : विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान–योग्य (+) कुल राज्य प्रतिक्रिय प्रभार (टोटल स्टेट रीएक्टिव चार्जेस) होंगे

SRC_R : विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्राप्ति–योग्य (–) कुल राज्य प्रतिक्रिय प्रभार (टोटल स्टेट रीएक्टिव चार्जेस) होंगे

RRA : राज्य प्रतिक्रिय लेखा (स्टेट रिएक्टिव अकाउंट) में उपलब्ध प्रतिक्रिय आरक्षित राशि (रीएक्टिव रिजर्व अमाउंट) (अर्थात्, बचत की अवशेष राशि, जो पूर्व के समस्त प्रतिक्रिय लेन–देन के व्यवस्थापन के पश्चात् उपलब्ध होगी)

(ए) **प्रकरण–प्रथम** : यदि क्षेत्रीय प्रतिक्रिया प्रभार (RRC) मप्र राज्य द्वारा भुगतान–योग्य (+) हैं तथा $(RRC+SRC_R) < SRC_P$: शेष राशि को संचिति अर्थात् रिजर्व (RRA) के रूप में, क्षेत्रीय प्रतिक्रिय प्रभार (RRC) तथा राज्य प्रतिक्रिय प्रभार (SRC_R) के भुगतान पश्चात्, रखा जाएगा।

(बी) **प्रकरण–द्वितीय** : यदि क्षेत्रीय प्रतिक्रिय प्रभार (RRC) मप्र राज्य द्वारा भुगतान–योग्य (+) हैं तथा $(RRC+SRC_R) > SRC_P$: बचत राशि, यदि कोई हो, जो कि संचिति अर्थात् रिजर्व (RRA) के रूप में उपलब्ध हो, को वापस आहरित किया जाएगा ताकि इसका मिलान $(RRC+SRC_R)$ तथा SRC_P से किया जा सके। यदि कोई संचिति अर्थात् 'आपूर्ति' रिजर्व उपलब्ध न हो अथवा यदि यह घाटे की आपूर्ति हेतु अपर्याप्त हो तो SRC_R तथा SRC_P को समुचित रूप से कम किया जाएगा ताकि वह कुल भुगतान–योग्य तथा कुल प्राप्ति–योग्य राशियों से मेल खाये।

(सी) **प्रकरण–तृतीय** : यदि क्षेत्रीय प्रतिक्रिय प्रभार (RRC) मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्राप्ति–योग्य (–) है तथा $(RRC+SRC_R) > SRC_R$: तो ऐसी दशा में कुल राज्य प्रतिक्रिय प्रभार (SRC_R) के भुगतान पश्चात् शेष राशि को संचिति (RRA) के रूप में रखा जाएगा।

(डी) **प्रकरण–चतुर्थ** : यदि क्षेत्रीय प्रतिक्रिय प्रभार (RRC) मप्र राज्य द्वारा प्राप्ति–योग्य (–) हैं तथा ($RRC+SRC_R$) <SRC_R : बचत राशि, यदि कोई हो, जो कि संचिति अर्थात् रिजर्व (RRA) रूप में उपलब्ध हो को वापस आहरित किया जाएगा ताकि इसका मिलान ($RRC+SRC_P$) तथा SRC_R से किया जा सके। यदि कोई संचिति उपलब्ध न हो अथवा यदि यह घाटे की आपूर्ति हेतु अप्रर्याप्त हो तो ऐसी दशा में SRC_R तथा SRC_P को समुचित रूप से कम किया जाएगा ताकि वह कुल भुगतान–योग्य तथा प्राप्ति–योग्य राशियों से मेल खाये।

(ई) **प्रकरण–पंचम** : यदि राज्य प्रतिक्रिय प्रभार वितरण कंपनियों द्वारा प्राप्ति–योग्य हों तथा कोई भी क्षेत्रीय प्रतिक्रिय प्रभार (RRC) प्राप्ति–योग्य न हों तथा संचिति (रिजर्व) (RRA) में कोई शेष राशि उपलब्ध न हो तो ऐसी दशा में वितरण कंपनियों को कोई भी प्रतिक्रिय प्रभार भुगतान–योग्य न होंगे।

7.19 प्रतिक्रय प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा संबंधित इकाई को दर्शाई गई राशि का भुगतान राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संचालित राज्य प्रतिक्रिय खाते के अन्तर्गत राज्य प्रतिक्रिय लेखा विवरण–पत्र जारी होने के 10 (दस) दिवस के अन्दर करना होगा । वह इकाई, जिसे प्रतिक्रिय प्रभारों से संबंधित भुगतान प्राप्त करना है, को तब भुगतान राज्य प्रतिक्रिय लेखा में से 3 (तीन) कार्यकारी दिवसों के अन्दर किया जाएगा ।

7.20 यदि प्रतिक्रिय प्रभार के विरूद्ध भुगतान में 2 (दो) दिवस से अधिक का विलंब होता है, अर्थात् राज्य प्रतिक्रिय लेखा विवरण–पत्र जारी होने से 12 (बारह) दिवस से अधिक का विलंब होता है तो ऐसी दशा में चूककर्ता इकाईयों को 0.04 प्रतिशत के साधारण ब्याज प्रति दिवस विलंब हेतु भुगतान करना होगा । इस प्रकार एकत्रित की गई ब्याज राशि का भुगतान उन इकाईयों को किया जाएगा, जिनके द्वारा यह राशि प्राप्त की जानी थी तथा जिनके भुगतान के संबंध में विलंब किया गया ।

8. निदर्शी उदाहरण :

8.1 इस संहिता के उपबंधों के अनुरूप राज्यान्तरिक इकाईयों हेतु संतुलन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि का निदर्शन परिशिष्ट (Appendix) में दर्शाया गया है । जो अंग्रेजी संस्करण के साथ संलग्न है ।

9. आंकड़ा अभिलेखों की परिरक्षण (Archiving) अर्हताएं :

9.1 समस्त इकाईयों (Entities) द्वारा समस्त अभिलेख /जानकारी/आंकड़े निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट की गई अवधि हेतु उचित रूप से सुरक्षित रखे जाएगे । ये अभिलेख किसी भी समय मप्रविनिआ द्वारा अथवा मप्रविनिआ द्वारा नियुक्त की गई किसी स्वतंत्र लेखा–परीक्षण संस्था (एजेन्सी) द्वारा अंकेक्षण के प्रयोजन हेतु सुगमता से पुनः अधिष्ठापित किये जाने के सुयोग्य होंगे ।

सरल क्रमांक	अभिलेख/आंकड़े/सूचना	परिरक्षण की पद्धति तथा उसकी अवधि	उत्तरदायित्व
1.	राज्यान्तरिक इकाईयों द्वारा लघु–अवधि खुली पहुंच तथा संबद्ध संविदाएं/अनुबन्ध	इलेक्ट्रानिक पर–12 माह पत्रों पर–6 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके) का
2.	समस्त राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों की घोषित क्षमता तथा समस्त अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों में स्वत्वाधिकार (समस्त पुनरीक्षणों सहित)	इलेक्ट्रानिक पर–12 माह पत्रों पर–6 माह	राभाप्रेके, उत्पादन नियन्त्रण केन्द्र (जीसीसी) का
3.	प्रत्येक वितरण कम्पनी की मांग, स्वत्वाधिकार तथा मांग पत्र (समस्त पुनरीक्षणों सहित)	इलेक्ट्रानिक पर–12 माह पत्रों पर–6 माह	राभोप्रेके, वितरण नियन्त्रण केन्द्र (डीसीसी) का

4.	लघु अवधि खुली पहुंच लेन–देन, द्विपक्षीय लेन–देन (प्रत्यक्ष तथा व्यापारियों के माध्यम से) तथा विद्युत विनिमयों के माध्यम से सामूहिक लेन–देन	इलेक्ट्रानिक पर–12 माह पत्रों पर–6 माह	राभाप्रेके, वितरण नियन्त्रण केन्द्र (डीसीसी) का
5.	अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन, राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन, विद्युत वितरण कंपनियों, खुली पहुंच क्रेतायों की अनुसूचियां (समस्त पुनरीक्षणों सहित)	इलेक्ट्रानिक पर–12 माह पत्रों पर–6 माह	राभाप्रेके, उत्पादन नियन्त्रण केन्द्र, वितरण नियंत्रण का
6.	राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन, विद्युत वितरण कंपनियों, खुली पहुंच क्रेताओं के अन्तर्मुखों से उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) मापयन्त्र आंकड़े, 15–मिनट के समय–खण्ड में	इलेक्ट्रानिक पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
7.	राभाप्रेके के राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन, विद्युत वितरण कंपनियों, खुली पहुंच क्रेताओं को दिशा–निर्देशों के विवरण	इलेक्ट्रानिक पर–12 माह पत्रों पर–6 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र का
8.	राभाप्रेके को राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन, विद्युत वितरण कंपनियों, खुली पहुंच क्रेताओं के अनुरोघ संबंधी विवरण	इलेक्ट्रानिक पर–12 माह पत्रों पर–6 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र का
9.	प्रचालन, वाणिज्यिक अथवा विपणन अंकेक्षण के प्रयोजन से अन्य कोई जानकारी, जो आवश्यक समझी जाए	इलेक्ट्रानिक पर–12 माह पत्रों पर–6 माह	राभाप्रेके, उत्पादन नियंत्रण केन्द्र, वितरण नियंत्रण केन्द्र का

10. <u>विपणन (मार्केट) अंकेक्षण हेतु स्थायी समिति :</u>

10.1 आयोग, विपणन लेन–देन की स्वतंत्र समीक्षा व अंकेक्षण हेतु तथा राज्यान्तरिक इकाईयां जिन्हें संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता लागू होती है, के आचरण पर निगरानी हेतु एक स्थाई समिति (Standing Committee-SC) की नियुक्ति कर सकेगा। इस समिति में निम्न सदस्य होंगेः

(ए) राज्य भार प्रेषण केन्द्र से एक प्रतिनिधि (जो न्यूनतम मुख्य अभियंता के पद का पदाधिकारी होगा) स्थायी समिति का अध्यक्ष होगा;

(बी) राज्य पारेषण इकाई (एसटीयू) से एक प्रतिनिधि (जो कि न्यूनतम मुख्य अभियंता के पद का पदाधिकारी होगा); एवं

(सी) राज्य सलाहकार समिति द्वारा नामांकित एक प्रतिष्ठित अभियंता।

10.2 अंकेक्षण कार्य का संचालन एक वर्ष की अवधि में दो बार किया जाएगा तथा समिति द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण कार्य के प्रारंभ किये जाने से 60 (साठ) दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा ।

10.3 समिति, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग को संशोधनों की अनुशंसा करेगी तथा सुझावों से (यदि कोई हों) अवगत करायेगी । आयोग, तद्नुसार आवश्यकता होने पर, संबंधित धारा अथवा आदेश अथवा प्रक्रिया को संशोधित तथा अधिसूचित कर सकेगा।

11 संहिता की प्रयोज्यता

11.1 यह संहिता राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों (एसएसजीएस) स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों (आईपीपी) (यदि वे विद्यमान हों), विद्युत वितरण कम्पनियों तथा अन्तर्राज्यीय खुली पहुंच इकाईयों को इसके लागू होने की तिथि से प्रयोज्य होगी तथा यह ऐसे अन्य विद्युत उत्पादकों/इकाईयों को भी ऐसी तिथि से, जैसा कि आयोग द्वारा इसे पृथक से अधिसूचना के माध्यम से जारी किया जाए, को भी लागू होगी।

12. कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां

12.1 इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आयोग, किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई (एसटीयू) और/या राज्यान्तरिक इकाईयों में से किसी भी इकाई को उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो कि विनियम के उपबन्धों के विरोधाभासी नही होंगी जैसा कि आयोग को उचित प्रतीत हो तथा कठिनाईयां दूर करने में वांछनीय हो ।

12.2 इस संहिता के लागू किये जाने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाईयां दूर किये जाने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई (एसटीयू) और/या राज्यान्तरिक इकाईयों में से कोई भी इकाई आयोग को आवेदन प्रस्तुत कर उचित आदेश पारित किये जाने हेतु भी निवेदन कर सकेंगे।

13. संशोधन के अधिकार

13.1 आयोग किसी भी समय आवश्यक प्रक्रियां उपरान्त, इस संहिता के प्रावधानों में परिवर्धन,परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकेगा।

14. व्यावृति

14.1 इस संहिता में कुछ भी आयोग को अन्तर्निहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है, सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा ।

14.2 इस संहिता में कुछ भी आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने में नही रोकेगा जो इन विनियमों के किसी प्रावधानों से अन्यथा हो ।

14.3 इस संहिता में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग को किसी विषय या अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिये कोई विनियम नहीं बनाया गया हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों का उसी प्रकार से, जैसा वह उचित समझे, निवर्तित कर सकेगा ।

टीपः इस मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (संतुलन तथा व्यवस्थापन) संहिता, 2009 के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों मे दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

(अशोक शर्मा)
आयोग सचिव